न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री देवेन्द्र कुमार, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –58/2026
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर –2026/62

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट**

हरकरणराम उर्फ हरकाराम पुत्र गोरधनराम जाति–जाट निवासी– आकोड़ा तहसील डेह जिला नागौर

नायब तहसीलदार, डेह

अपील अधीन धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

अपीलांट की ओर से वकील श्री भंवरलाल गोदारा।

अप्रार्थी की ओर से राजपैरोकार श्री ओम प्रकाश पूनियां।

निर्णय

दिनांक :– 03.06.2026

अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.1.2026 द्वारा नायब तहसीलदार डेह, प्रकरण संख्या 87/2025 सरकार बनाम हरकरणराम अधीन धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में पारित किया गया के पेश की है।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय का असल रेकार्ड तलब किया गया।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलांट ने अपील में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बहस में यह कथन किया कि पटवारी हल्का आकोड़ा की मिथ्या रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 राज० भू राजस्व अधिनियम का प्रकरण दर्ज होकर अपीलांट को नायब तहसीलदार डेह ने नोटिस दिया कि गैर सायल/अपीलांट ने खरीफ संवत 2082 में ग्राम आकोड़ा के खसरा नं. 9 रकबा 0.2598 हैक्टेयर किस्म गैर मु. रास्ता भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा जरिये तारबंदी किया गया है।

उक्त मिथ्या रिपोर्ट व प्रकरण दर्ज होने की अपीलांट को कोई जानकारी पूर्व में नहीं थी व अपीलांट के पुत्र को वाट्सऐप पर नोटिस भेजा जाना बताया है जबकि अपीलांट को ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला न पूर्व में जानकारी हुई इसलिए जवाब व साक्ष्य सबूत करने से वंचित रखते हुए व अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जवाब व साक्ष्य सबूत लिये अत्यंत जल्दबाजी में बिना किसी अर्जेन्सी के व बिना अपने स्तर पर कोई जांच किये अपीलांट के जवाब व साक्ष्य का अवसर बंद करते हुऐ उसको बिना सुने अतिक्रमी घोषित करने का त्रुटिपूर्वक निर्णय दिनांक 27.01.2026 को पारित कर दिया अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार डेह का यह निर्णय/आदेश जैर अपील कतई गलत, विधि विरूद्ध पारित किया होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं का अवलोकन करने मात्र से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार ने केवल कुछ समूह विशेष के लोगों के दबाव व प्रभाव में आकर निर्दोष अपीलांट को नाजायज तंग परेशान करने के दुराशय से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर निर्णय जैर अपील अत्यंत जल्दबाजी में बिना किसी अर्जेन्सी के पारित किया गया है क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि अपीलांट का किसी भी कथित रास्ता खसरा नं. 9 मौजा आकोड़ा पर कोई अतिक्रमण नहीं है रास्ता कदीमी समय से जहां चल रहा है उसी स्थान पर आज दिन मौजूद है किसी भी काश्तकार, राहगिरों को रास्ता से आवागमन में कोई समस्या नहीं है न किसी काश्तकार/राहगिर की कोई शिकायत रहीं है मगर चूंकि उक्त रास्ता के दोनो तरफ अपीलांट की भूमियां है और राजस्व नक्शा में उक्त रास्ता जहां कायम है उस अनुसार इन्द्राज/तरमीम नहीं होने व उससे थोड़ा हट कर विपरीत दिशा में दर्शाया हुआ है जिसकी कोई जानकारी अपीलांट को पूर्व में नहीं थी व अपीलांट से अदावत रखने वाले पडौसी वगैरा को इसकी जानकारी होने पर अपीलांट को नाजायज तंग परेशान करने के दुराशय से पटवारी हल्का वगैरा से मिलीभगती करके उनको दबाव व राजनेतिक प्रभाव में लेकर अपीलांट के विरूद्ध गलत नक्शा की आड़ में अतिक्रमण की मिथ्या रिपोर्ट करवा कर निर्णय जैर अपील पारित करवाया है जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट कदीमी समय से अपनी कब्जासुद खातेदारी की भूमि पर सींवो माठो से काबिज है धौरा पाली पुराने समय के किये हुऐ है व अपीलांट की खातेदारी की भूमियां इस रास्ते के दोनो तरफ आई हुई है व रास्ता जिस हालत में पुराने समय में था उसी हालत में व उसी स्थान पर आज दिन मौजूद है कोई अवरोध नहीं है केवल मात्र नक्शा तरमीम गलत होने से नक्शा तरमीम दुरूस्ती का मामला होते हुऐ भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान दिये बिना व अपने स्तर पर कोई जांच किये बिना पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट पर अपीलांट का किसी भी रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण न होते हुऐ भी अतिकमी घोषित कर बेदखल करने का आदेश कर दिया है व उसकी आड़ में असामाजिक तत्व पटवारी के जरिये अपीलांट को उसकी खातेदारी की भूमि से बेदखल करवाना चाहते है जो कतई विधि सम्मत नहीं है जबकि रास्ता तो जहां था वहां आज दिन है माननीय न्यायालय चाहे तो अन्य टीम से मौका रिपोर्ट मंगवा सकते है सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी व नक्शा तरमीम दुरूस्त करने से उत्पन्न विवाद का निस्तारण हो जायेगा, अनावश्यक मुकदमेबाजी नहीं बढेगी, इसलिए माननीय न्यायालय से निवेदन है कि निर्णय जैर अपील खारिज कर मौका रिपोर्ट निष्पक्ष टीम से मंगवा कर प्रकरण का उचित निस्तारण किया जावे व अपीलांट की खातेदारी की भूमि से कथित निर्णय की आड़ में अपीलांट को बेदखल नहीं करे, इस हेतु निर्णय जैर अपील को अपास्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलांट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदेही से वंचित रहा है अपीलांट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है उसकी कोई सम्यक तामिल पूर्व में नहीं हुई व बाद में सुचना मिलने पर वकालतनामा पेश करवाया मगर जवाब व दस्तावेज पेश करने हेतु बाद में सूचित कर देने का आश्वासन दिया होने से अपीलांट इसी विश्वास में रहा कि न्यायालय की अथवा अधिवक्ता की सुचना/नोटिस आयेगा मगर ऐसी कोई सुचना बाद में नहीं मिली व अधीनस्थ

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

न्यायालय ने पुनः अपीलांट को विधिवत सुचित किये बिना व पटवारी हल्का के बयान लिये बिना व अपीलांट को जिरह का अवसर दिये बिना सरसरी तौर पर आनन फानन में बिना किसी अर्जेन्सी के निर्णय जैर अपील पारित करने में भारी कानूनी गलती की है जिससे अपीलीय क्षेत्राधिकार के जरिये निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने की याचना की जाती है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन है कि न्यायालय के सामने यह स्थिति स्पष्ट करनी आवश्यक होगा कि खसरा नं. 9 रास्ता कदीमी समय से उसी स्थान पर रहता चला आया है तथा पूर्व में दो बार नरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त रास्ता पर ग्रेवल सड़क निर्माण किया उससे पूर्व मौके की जांच की गयी तथा सड़क स्वीकृति आदेश से पूर्व सारी विधिक प्रक्रिया अपनाई गयी व रास्ता यही पर मान कर ग्रेवल सड़क का निर्माण भी करवाया गया था जो ग्रेवल सड़क आज दिन भी उसी अनुसार खुली व चालू है किसी को कोई असुविधा नहीं हो रही है ऐसे में केवल मात्र नक्शा में गलत तरमीम की वजह से अपीलांट को नाजायज परेशान किया जा रहा है इन परिस्थितियो में आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क है कि पूर्व में दिनांक 16.7.2021 को भू.अ.नि. कमेड़िया, पटवारी हल्का आकोड़ा ने श्रीमान उपखण्ड अधिकारी जायल के आदेश क्रमांक राजस्व/रा.खो.अ./2021/641 दिनांक 15.7.2021 की पालना में रास्ता खोलो अभियान के तहत दिनांक 16.7.2021 को मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट बनाई जिसमें आकोडा से मीठा मांजरा व आकोडा से जालनियासर जाने वाले रास्तो के दोनो तरफ के खातेदारो ने रास्ता की चौड़ाईकरण हेतु सहमत हुऐ व रास्ते उसी अनुसार आज दिन कायम है जिस मौका रिपोर्ट पर पडौसीयो मौतबिरान के हस्ताक्षर है जिससे भी साफ जाहिर है कि रास्ते मौके पर पुराने समय अनुसार आज दिन कायम है।

अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, डेह का निर्णय दिनांक 27.01.2026 अपास्त किया जावे।

राजपैरोकार का बहस में कथन है कि अपीलांट हरकरणराम द्वारा ग्राम आकोड़ा के खसरा नम्बर 9 रकबा 0.2598 है0 गै0मु0 रास्ता की भूमि पर तारबन्दी कर कब्जा सम्वत् 2082 में किये जाने पर पटवारी हल्का आकोड़ा द्वारा अपीलांट के विरूद्ध दफा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अपीलांट का लड़का रामचन्द्र दिनाक 18.11.2025 को उपस्थित हुआ है, जिनके आदेशिका में हस्ताक्षर है तथा उनके द्वारा रास्ता की भूमि के सामित्व के दस्तावेज पेश नहीं किये जाने पर तथा बाद की तारीख पेशीयों पर अप्रार्थी एवं उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं होने से तथा उनके द्वारा किसी प्रकार के साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये जाने पर प्रकरण सही पाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अतिक्रमी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखली एवं जुर्माना का आदेश दिया है जो सही होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, डेह की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का आकोड़ा ने दिनांक 27.10.2025 को नायब तहसीलदार, डेह को इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि हरकरणराम पुत्र

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

गोरधनराम जाति–जाट, निवासी आकोड़ा तहसील डेह ने ग्राम आकोड़ा के खसरा नम्बर 09 रकबा 0.2598 हैक्ट. किस्म जमीन गै0मु0 रास्ता पर सम्वत् 2082 से अनाधिकृत तारबन्दी कर कब्जा करके कर रखा है। इस रिपोर्ट पर भू0अभिलेख निरीक्षक कमेड़िया ने भी अपने हस्ताक्षर किया है। प्रकरण न्यायालय में गैर सायल के विरूद्ध दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया तथा प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 18.11.2025 नियत की गई। इस तारीख पेशी पर गैर सायल का पुत्र रामचन्द्र उपस्थित हुआ तथा गैर सायल की ओर से वकील श्री चन्द्रशेखर का वकलातनामा पेश किया गया है तथा आगामी तारीख पेशी प्रकरण में दिनांक 18.12.2025 रखी गई। इस तारीख पेशी पर गैर सायल के अभिभाषक अनुपस्थिति का आदेशिका में अंकन है तथा प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.01.2026 नियत की गई तथा इस तारीख पेशी पर भी गैर सायल के अभिभाषक उपस्थित नहीं होने से दिनांक 27.01.2026 को प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रकट है कि प्रकरण न्यायालय में दिनांक 27.10.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रकरण में निर्णय दिनांक 27.01.2026 को पारित किया गया है। इस दौराने गैर सायल/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार के दस्तावेज एवं जबाब पेश नहीं किया गया है।

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भली भांति प्रकट है कि गैर सायल/अपीलांट को प्रकरण में सुनवाई का विधिवत् अवसर दिया गया है, उसके बावजूद उनके द्वारा किसी प्रकार के दस्तावेज स्वामित्व के पेश नहीं किये है। प्रस्तुत अपील के साथ भी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह प्रकट होता हो कि अपीलांट को खसरा नम्बर 09 गै0मु0 रास्ता की भूमि पर स्वामित्व प्राप्त हो। अपील के साथ पेश किये गये दस्तावेज रिपोर्ट रास्ता खोला अभियान में खसरा नम्बर 08 का अंकन है, जबकि यह प्रकरण खसरा नम्बर 09 से सम्बन्धित है। इस प्रकार खसरा नम्बर 09 गै0मु0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि होने से इस प्रकार की भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष को न तो कोई अधिकार प्राप्त होते एवं न ही हुवे है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ पेश की गई बेदखली रिपोर्ट दिनांक 15.03.2026 के अवलोकन से बाद सीमाज्ञान खातेदार हरकरणराम के द्वारा की गई तारबंदी हटाकर रास्ता खुलवाया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में गैर सायल/अपीलांट की तारबंदी हटायी जा चुकी हैं, इसलिए भी इस अपील में किसी प्रकार का अन्य आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, डेह का निर्णय जैर अपील दिनांक 27.01.2026 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(देवेन्द्र कुमार)
कलक्टर नागौर
जिला कलक्टर
नागौर